

प्रेस नोट थाना कोतवाली गोरखपुर दिनांक 24.07.2022

दिनांक 06.06.2022 को तरंग ओवर ब्रिज के पास हुई लूट की घटना से सम्बन्धित लूटेरा/अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर के निर्देशन में जनपद में अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु पुलिस अधीक्षक नगर के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी कोतवाली, गोरखपुर के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली व उ0नि0 चन्द्रभान सिंह, मय टीम द्वारा चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति पर संदेह होने पर रोककर चेक किया गया तथा उस व्यक्ति का नाम पता पूछने पर अपना नाम रामप्रवेश यादव पुत्र स्वामी नाथ यादव निवासी जलालगढ़ थाना पुरन्दरपुर जनपद महाराजगंज तथा जामातलाशी से उसके पास से एक अदद एन्ड्रायड मोबाइल रेडमी 9 बरामद हुआ, जिसका पूर्व से मु0अ0सं0 136/22 धारा 392 भादवि थाना स्थानीय पर पंजीकृत है।

घटना का संक्षिप्त विवरण:- दिनांक 06.06.2022 को सुबह 07.33 बजे वादिनी के तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 136/22 धारा 392 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत हुआ, विवेचना के क्रम में चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति जिसका नाम रामप्रवेश यादव पुत्र स्वामी नाथ यादव निवासी जलालगढ़ थाना पुरन्दरपुर जनपद महाराजगंज को गिरफ्तार किया गया, जिससे पूछताछ पर बताया कि साहब पिछले महीने मैं एक व्यक्ति से लिफ्ट मांगकर उसकी मोटरसाइकिल पर पीछे बैठकर जा रहा था रास्ते में गोरखनाथ ओवर ब्रिज के पास हमारी मोटरसाइकिल एक आटो को ओवरटेक किया तो मैंने देखा कि आटो में एक लड़की किनारे पर बैठकर अपनी मोबाइल को चला रही थी। रास्ते में मोटरसाइकिल चला रहे व्यक्ति पुल के नीचे उतरने के बाद गाड़ी रोककर अपना हेलमेट उतारकर सड़क के किनारे पान थूकने लगे, तब हमने देखा कि पीछे से वह आटो आया और हम लोगो को क्रास करके आगे बढ़ गया। पान थूकने के बाद वह व्यक्ति फिर से अपना हेलमेट लगाकर मोटरसाइकिल स्टार्ट कर चलने लगे तो तरंग ओवरब्रिज के पास आगे जा रहे उस आटो को पुनः क्रास किये तो मैंने पीछे से एक झटके में उस लड़की का मोबाइल फोन छीन लिया। मोटरसाइकिल चलाने वाले व्यक्ति को कुछ पता नहीं चला पाया। मैं यातायात तिराहे से पहले गेट नं0 7 पर उतरकर रेलवे स्टेशन पर चला गया और वहीं से ट्रेन पकड़कर अपने घर चला गया। अभियुक्त की गिरफ्तारी का विवरण निम्नवत है-

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

रामप्रवेश यादव पुत्र स्वामी नाथ यादव निवासी जलालगढ़ थाना पुरन्दरपुर जनपद महाराजगंज ।

बरामदगी-

एक अदद एन्ड्रायड मोबाइल रेडमी 9,

गिरफ्तारी का दिनांक व स्थान-

दिनांक 24.07.2022 को समय 12.10 बजे शास्त्री चौक के पास से।

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 136/22 धारा 392 भादवि थाना कोतवाली गोरखपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.प्रभारी निरीक्षक कल्याण सिंह सागर (थाना कोतवाली, गोरखपुर)
2. उ0नि0 चन्द्रभान सिंह (थाना कोतवाली, गोरखपुर)
- 3.का0 अशोक कुमार (थाना कोतवाली, गोरखपुर)
- 4.का0 राजकुमार (थाना कोतवाली, गोरखपुर)
- 5.महिला आरक्षी सरिता जायसवार (थाना कोतवाली, गोरखपुर)
- 6.हे0का0 प्रमोद कुमार सिंह (थाना कोतवाली, गोरखपुर)
- 7.महिला आरक्षी आराधना सिंह (थाना कोतवाली, गोरखपुर)